रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 11 मार्च, 1996/21 फाल्गुन, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 11 मार्च, 1996

संख्या 1-33/96-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन)संशोधन

855-राजपत्र/96-11-3-96—1,225. मूल्य: 1 रुपया ।

विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्यांक 15) जो दिनांक 11 मार्च, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

1996 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 1996 है ।

धारा 4-ख का संशोधन ।

1971 का 8

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4-ख में, "एक हजार नौ सौ" शब्दों के स्थान पर, "तीन हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 2 के प्रथम परन्तुक में, "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 में, "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "साठ हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन खर्चों, जो कि राज्य विधान सभा के सदस्य को जन-प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तेज वृद्धि के कारण निर्वाचन क्षेत्र सचिवीय और डाक सुविधा भत्ते को प्रतिमास एक हजार नौ सौ रुपये से तीन हजार रुपये, उसके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर या उसके स्थायी निवास के स्थान पर या शिमला में संस्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय या बाह्य कालों के व्यय को पूर्ति करने के लिए टेलीफोन भत्ते को प्रतिमास एक हजार पांच सौ रुपये से तीन हजार रुपये तक बढ़ाना और किसी वित्तीय वर्ष में रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा की अधिकतम सीमा को चालीस हजार किलोमीटर से साठ हजार किलोमीटर तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा (पदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
11 मार्च, 1996

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 4 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष 5.41 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[फाईल नं0 जी0 ए0 डी0-सी0(पी0 ए0)-4-21/94-II]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 1996

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (*Act No.* 8 *of* 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 1996.

Amendment of section 4-B.

2. In section 4-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for the words "one thousand and nine hundred", the words "three thousand" shall be substituted.

Amendment of section 5.

3. In section 5 of the principal Act, in first proviso to sub-section (2), for the words "one thousand and five hundred", the words "three thousand" shall be substituted.

Amendment of section 6.

4. In section 6 of the principal Act, for, the words "forty thousand", wherever these occur, the words "sixty thousand" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which an Hon'ble Member of the State Assembly, as a public representative, had to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase the constituency, secretarial and postal facilities allowance from Rs. 1900/- to 3000/- per month, telephone allowance from Rs. 1500/- to 3000/- per month to meet the expenses of local and outside calls in respect of telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence or at Shimla and to raise the maximum limit of free transit by railway or by air facility from forty thousand kilometres to sixty thousand kilometres in a financial year. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The 11th March, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of Rs. 5.41 lakhs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C(PA)-4-21/94-II]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1996, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।